

"संशोधित कार्यालय ज्ञाप "

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 5 (1) (2) तथा 19 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशालय अल्पसंख्यक स्तर पर पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप सं 128/नि.अ.क./सू.का. अधि./2012-13 दिनांक 09 मई, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

क्रम सं	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण।	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
2.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।	सचिव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग।	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
3.	उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।	निरीक्षक, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।	उप -रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड।
4.	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।	अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
5.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।	महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम।	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
6.	उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।	हज अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।	अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।
7.	15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति, देहरादून।	नोडल अधिकारी, 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति, देहरादून।	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
8.	कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल।	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल।	उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।

(सुशील कुमार)
निदेशक

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1093...../नि.अ.क./सू.का.अधि./लो.सू.अधि./अपी.अधि./2014-15 दिनांक 3 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6. उप-रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक वित्त एवं वक्फ विकास निगम, देहरादून।
9. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, देहरादून।
10. नोडल अधिकारी, 15-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून।
11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर तथा नैनीताल।
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर तथा नैनीताल को छोड़कर।

(सुशील कुमार)
निदेशक